अध्याय 9

शस्तियाँ और प्रकिया

[3]धारा 52. अधिहरणीय (Confiscation) सम्पत्ति का अभिग्रहण और उसके लिये प्रक्रिया - जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी आरक्षित वन और संरक्षित वन या वन उपज के सम्बन्ध में कोई अपराध किया गया है तो वन उपज और समस्त औजार नाव, यान, रस्सी, जंजीर या अन्य किसी वस्तुओं को, जिनका प्रयोग ऐसे अपराध को करने में किया गया है, किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिग्रहित किया जा सकेगा।

टिप्पणी

धारा 52. वन अधिनियम स.प. धारा 30 अधिवक्ता अधिनियम 1961- सम्पत्ति के समपहरण की कार्यवाहियाँ - (क) वन अपराध में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष समपहरण कार्यवाहियों (Confiscution Proceedings) में अधिवक्ताओं की उपस्थिति अनुज्ञेय नहीं है।

(ख) समपहरण कार्यवाही में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु कोई उपबंध विद्यमान नहीं है। (कुलदीप शर्मा वि. म.प्र. राज्य वर्गे, 2012 (2) म.प्र. लॉ.ज. 453 (म.प्र.)।

यान की जप्ती कार्यवाही आरम्भ करने के पूर्व एकमान पूर्ववर्ती शर्त यह है कि उसके द्वारा वन-अपराध घटित किया जाना आवश्यक है। (म.प्र. राज्य वि. सेल्स एजेन्सीस 2005 (1) विधि भास्वर 163 (सु.को.) = A.I.R. 2004 S.C. 2088 = 2004 क्रि. लॉ. ज. 1832 = 2004 सु.को. के (क्रि.) 1313)।

(2) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति को जप्त (Seize) करने वाला अधिकारी, ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगावेगा कि इसका इस प्रकार अभिग्रहण (Seizure) किया गया है और अभिग्रहीत सम्पत्ति को यथाशीघ्र या तो सहायक वन-संरक्षक के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचित द्वारा इस निमित्त अधिकृत किया हो (जो इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकृत अधिकारी" (Authorised Oficer) के नाम से निर्दिष्ट है) के समक्ष पेश करेगा। जहाँ परिणाम (Quanitity), प्रपुँज (Bulk) या अन्य वास्तविक (Genuine) कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह साध्य न हो कि अभिग्रहीत सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश किया जावे, वहाँ वह अभिग्रहण (Seizure) के बाबत रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को करेगा, या जहां अपराधी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही (Criminal proceedings) तुरन्त आरम्भ करने का मत हो तो वह ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, उस अपराध का जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को करेगा :

परन्तु जब वह वन-उपज, जिसके बारे में ऐसे अपराध किये जाने का विश्वास है, सरकार की सम्पत्ति है और अपराधी अज्ञात है तो यदि अधिकारी, परिस्थिति के बारे में रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ (Official Superior) को यथाशक्य शीघ्र दे देता है तो पर्याप्त होगा।

(3) उपधारा (5) के अध्यधीन रहते हुए जहाँ प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थित अभिग्रहीत सम्पत्ति अपने समक्ष पेश किये जाने पर या अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि उसके बारे में कोई वन अपराध किया गया है वह लिखित आदेश द्वारा और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों, से उस वन उपज को जो इस प्रकार अभिग्रहीत की गई है, समस्त औजारों, यानों, नावों, रस्सों, जंजीरों किसी अन्य वस्तु सहित जिनका प्रयोग ऐसे अपराध को करने के लिए किया गया है अधिहृत (Confiscate) कर सकेगा। अधिहरण के आदेश की एक प्रति अविलम्ब उस वन वृत्त सरक्षक को भेजी जायेगी जिसमें इमारती लकड़ी या वनोपज अभिग्रहीत की गई है।

(4) धारा (3) के अधीन किसी सम्पत्ति को अधिहरण करने वाला आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्राधिकृत अधिकारी -

(क) सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाही किये जाने के बारे में सूचना, उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रट को विहित प्रारूप में नहीं देता।

---

3. म.प्र. अधि. क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित 27.3.2010 से प्रभावशील।

(ख) उस व्यक्ति को जिसकी सम्पत्ति अभिग्रहीत की गई है, या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसके बारे में प्राधिकारी अधिकारी को यह प्रतीत होता हो कि उसका ऐसी सम्पत्ति में कोई हित है, लिखित सूचना नहीं दे देता है।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जावे, करने का अवसर नहीं दे देता; और

(घ) अधिहरण करने वाले अधिकारी की एवं तथा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की जिसे या जिन्हें खण्ड (ख) के अधीन सूचना दी गई है, सुनवाई उस प्रयोजन के लिये नियत की गई तारीख को नहीं कर लेता।

(5) धारा (3) के अधीन किन्हीं औजारों, यानों, नावों, रस्सों, जंजीरों, या अन्य वस्तु को अधिहृत करने का आदेश नहीं किया जावेगा, यदि उपधारा (4) के खण्ड में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, "प्राधिकृत अधिकारी" के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि किन्हीं ऐसे औजारों, यानों, नावों, रस्सों, जंजीरों या अन्य वस्तुओं का प्रयोग उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के बिना या यथा स्थिति उसके नौकर या अभिकर्ता (Agent) की जानकारी या मौनानुकूलता कि बिना किया गया था और यह कि वन अपराध किये जाने के लिये पूर्वोक्त वस्तुओं के प्रयोग को रोकने के लिए समस्त सम्यक् (Reasonable) और आवश्यक पूर्वावधानियाँ (Precautions) बरती गई थी।

टिप्पणी

वन अपराध में प्रयुक्त वाहन को समपहृरण का आदेश पारित करने के पूर्व यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या यह प्रमाणित होती है कि उस अपराध में प्रयुक्त वाहन को उसके स्वामी की जानकारी में प्रयुक्त किया गया था। ऐसे निष्कर्ष के अभाव में यान के समपहृरण का ओदश विखंडित किया गया। (प्रकाश राय वि. म.प्र. राज्य 2006 (4) मनिसा 145 म.प्र. = एवं देवकी नंदन शर्मा वि. प्राधिकृत अधिकारी एवं अपर वन मंडलाधिकारी वर्गे. 2011 (3) म.प्र. वी. नो. 132 (म.प्र.)।

विचारण न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को वन-अपराधों में दोषमुक्त किया गया था तब उस अपराध में प्रयुक्त वाहन के समपहृरण का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं था अत: उसे विखंडित किया गया। (केशव प्रसाद गुप्ता वि. म.प्र. राज्य वगै. 2013 (2) म.प्र. लॉ.ज. 149 (म.प्र.)।

वन-अपराध में प्रयुक्त मशीन एवं डम्परों को ठेकेदार ने किराये पर लेकर उसको जानकारी दिए बिना उसका कथित वन-अपराध में प्रयोग किया था। किंतु अपीलार्थी को बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद उसने मूल परिवहन करार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था अत: उसके अभिवाक को निरस्त करने के ओदश की पुष्टि की गई। (रामेन्द्रपाल सिंह वि. म.प्र. राज्य वगै. 2013 (2) म.प्र.लॉ.ज. 226 (खंडपीठ म.प्र.)।

इन्दौर से कार मालिक ने उसके मामा को कार से भोपाल पहुँचाने हेतु कार चालक को भेजा था। भोपाल से इन्दौर वापिसी यात्रा में कार चालक ने कुछ व्यक्तियों को यात्रा करने दी, जो अवैध रूप से चंदन की लकड़ी ले जा रहे थे। इस तथ्य का कार मालिक को ज्ञान नहीं था। चूँकि जप्त कार का उपयोग कार परिवहन किया गया था अत: कार के समपहृरण आदेश को विखण्डित किया गया। (देवकी नंदन वि. प्राधिकृत अधिकारी 2012 (2) म.प्र.लॉ.ज. 45 म.प्र.)।

[1](6) अभिगृहीत सम्पत्ति, प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की अपील प्राधिकारी द्वारा पुष्टि होने तक या उसके द्वारा स्वप्रेरणा से कार्रवाई प्रारम्भ करने की कालावधि की समाप्ति तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, धारा 52-क के अधीन यथाविहीत अभिरक्षा में बनी रहेगी।

[1](7) जहाँ मामले की अधिकारिता रखने वाला प्राधिकृत अधिकारी, अभिग्रहण में या अन्वेषण में स्वयं अन्तर्वलित है, वहाँ अगला उच्च प्राधिकारी इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के संचालन के लिए उसी श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को मामला अन्तरित कर सकेगा।"

[2](नवीन धारा 52 क, ख, ग, का अन्त:स्थापन) - मूल अनिअधिनियम में धारा 52 के पश्चात् निम्नलिखित धाराये अन्त:स्थापित की जावें अर्थात् :

---

1. म.प्र. अधि. क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा जोड़ा गया।
2. म.प्र. अधि. क्र. 25 वर्ष 1983 द्वारा धारा 52, क, ख, ग का अन्तस्थापन।

धारा 52-क. प्रधिकृत अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील - [1]प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर या यदि ऐसे आदेश सम्बन्धी तथ्य (Fact) की संसूचना उसे नहीं दी गई हो, ऐसे आदेश की जानकारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उस वन वृत्त के वन संरक्षक को (जिसमें वन उपज अभिग्रहीत की गई हो) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अपीलीय अधिकारी" के नाम से निर्दिष्ट है) को लिखित में अपील, ऐसे फार्म में तथा ऐसी फीस के साथ जो विहित की गई है, कर सकेगा और उसके साथ अधिहरण (Confiscation)आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जावेगी।

स्पष्टीकरण

(1) इस उपधारा में तीस दिन की कालावधि की गणना करने में वह समय अपवर्जित (Excluded) कर दिया जायेगा जो आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिये अपेक्षित रहा हो।

(2) उपरोक्त धारा 1 में वर्णित "अपीलीय अधिकारी" जब कोई अपील प्रस्तुत न हो, तब प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के आदेश प्राप्त किये जाने की तारीख से 30 दिन के अन्दर 'स्व प्रेरणा' (Suo-moto) से कार्यवाही कर सकेगा और उसकी सूचना, अभिग्रहण करने वाले अधिकारी को, तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका कि अपीलीय अधिकारी की राय में, अभिहरण के आदेश से प्रभावित होना संभाव्य है, दे सकेगा या अपील के ज्ञापन प्राप्त होने की दशा में वह अपील की सूचना उन व्यक्तियों को देगा और मामले के अभिलेख मंगा सकेगा:

परन्तु अपील की औपचारिक सूचना, यथापूर्वेक्त अपीलार्थी, अभिग्रहण करने वाले अधिकारी, और प्रतिकूलत: प्रभावित होने वाले किन्हीं व्यक्तियों में से उनको दिया जाना आवश्यक नहीं होगा जो सूचना का अधित्यजन (Waive) कर दें या जिन्हें अपील सुनवाई की तारीख 'अपीलीय अधिकारी' द्वारा अन्य रीति से सूचित कर दी जावे।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील की स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्राधिकृत अधिकारी को सूचना लिखित में देगा।

(4) अपील प्राधिकारी, अधिहरण, की गई विषय-वस्तु की अभिरक्षा (Custody), परिरक्षण (Practitioner) या व्ययन (Dsiposal) (यदि आवश्यक हो) के लिए अन्तरिम आदेश कर सकेगा जैसे कि उस मामले में परिस्थिति में न्याय संगत और उचित होते हों।

(5) 'अपील अधिकारी' मामले की प्रकृति या अन्तर्गत जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए अपील के पक्षकारों को, उनका प्रतिनिधित्व उनके अपने-अपने विधि व्यवसायियों (Legal Practitioner) द्वारा किये जाने अनुज्ञा दे सकेगा।

(6) अपील की या 'स्वप्रेरणा' से की जाने वाली कार्यवाही की सुनवाई के लिये नियत की गई तारीख को या ऐसी तारीख को जो सुनवाई स्थगित की जाने के पश्चात् निश्चित की गई हो, अपील अधिकारी, अभिलेख का परिशीलन करेगा, और यदि अपील के पक्षकार स्वयं उपस्थित हों तो उनकी सुनवाई करेगा या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने, उसे उलटने (Revesal) या उसे उपान्तरित (Modify) करने का आदेश पारित करने की कार्यवाही करेगा :

परन्तु यदि कोई अन्तरिम आदेश पारित करने के पूर्व, अलील प्राधिकारी, अपील या स्वप्रेरणा से की गई कार्यवाही के उचित निर्णय के लिये आवश्यक समझता है तो अतिरिक्त जाँच या तो स्वयं करेगा या प्राधिकृत अधिकारी से करावेगा, और किसी ऐसे तथ्य का, जो विचारार्थ हो, प्राख्यान या खण्डन करने के लिये, पक्षकारों, को शपथ पत्र फाइल करने को अनुज्ञात कर सकेगा और तथ्यों का प्रमाण शपथ (Affidavits) द्वारा दिये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(7) अपीलीय अधिकारी पारिणामिक स्वरूप (Consequential nature) के ऐसे ओदश पारित कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे।

(8) अन्तिम आदेश, या पारिणामिक स्वरूप आदेश की प्रति अनुपालन के अथवा अपील अधिकारी के आदेश के अनुकूल अन्य समुचित आदेश पारित करने के लिए "प्राधिकृत अधिकारी" को भेजी जावेगी।

---

1. म.प्र. अधि. क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा जोड़ा गया।

धारा 52. ख. अपील अधिकारी के आदेश के विरूद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण 52-ख-

(1) अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील अधिकारी द्वारा पारित किये गये अन्तिम आदेश से या पारिणामिक स्वरूप आदेश से व्यथित हो, उस आदेश के, जिसके विरूद्ध आक्षेप किया जाना ईप्सित है, तीस दिन के भीतर, सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण के लिये याचिका प्रस्तुत कर सकेगा जिसके सेशन खण्ड के भीतर अधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के अधीन तीस दिन कीकालावधि की संगणना करने में, वह समय अपवर्जित किया जावेगा जो अपील अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित रहा हो।

(2) सेशन न्यायालय, अपील अधिकारी द्वारा पारित किये आदेश की पुष्टि कर सकेगा, या उसे उपट सकेगा या उसे उपान्तरित कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण में पारित किये गये आदेश की प्रतियाँ अपील अधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारी को अनुपालन हेतु, या ऐसे अतिरिक्त ओदश पारित करने हेतु या ऐसी अतिरिक्त कार्यवाही करने हेतु भेजी जावेगी जैसी की न्यायालय द्वारा निर्देशित की जावे।

(4) इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चित करने के लिये, सेशन न्यायालय, यथाशक्य उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसका कि प्रयोग और अनुसरण वह दण्ड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code 1973) (1974 का 2) के अधीन किसी पुनरीक्षण का ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चय करने के समय करता है।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पारित किया गया सेशन न्यायालय का ओदश अन्तिम होगा और उसे किसी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी

वन अपराध में जप्त संपत्ति वाहन के समपहरण का आदेश को अपीलीय प्राधिकारी/वन संरक्षक द्वारा विखंडित कर प्रकरण को पुन: आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। ऐसा आदेश अंतिम आदेश है अत: अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी सेशन न्यायालय में पोषणीय है। (म.प्र. राज्य वि. भानुप्रताप सिंह 2009 (1) म.प्र. हा. टु. 33)।

निगरानी न्यायालय (सेशन न्यायालय) द्वारा वाहन को सुपुर्दगी में देने के आदेश के विरूद्ध समादेश याचिका अप्रचलनीय है। (धरमचन्द्र वि. पंजाब राज्य 2009) (1) म.प्र. हा. टु. 38)।

धारा 52. ग. कतिपय परिस्थितियों में न्यायाल की अधिकारिता का वर्जन - उस अपराध का, जिसके कारण उस सम्पत्ति का अभिग्रहण (Seizure) किया गया है जो कि अधिहरण की विषय-वस्तु है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को, सम्पत्ति के अभिगहण के लिये कार्यवाहियाँ शुरू की जाने के बारे में धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन सूचना के प्राप्त हो जाने पर, किसी न्यायालय, अधिकरण, या प्राधिकारी (जो धारा 52, 52-क, 52ख में निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, अपील अधिकारी या सेशन न्यायालय से भिन्न हो) को इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात होते हुए भी, उस सम्पत्ति के कब्जे, परिदान, व्ययन या वितरण के विषय में कोई आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके बारे में धारा 52 में अधिहरण की कार्यवाहियाँ शुरू हो गई हैं।

स्पष्टीकरण - यहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, वन अपराध की विचाउरण करने की अधिकारिता दो या अधिक न्यायालयों को हो, वहां ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में से किसी एक को धारा 52 (4) के अधीन सूचना प्राप्त होने का यह अर्थ लगाया जावेगा कि उस उपबन्ध के अधीन सूचना समस्त न्यायालों को प्रापत हो गई है और अधिकारिता का प्रयोग करने का वर्जन समस्त न्यायालयों पर प्रवर्तित होगा।

(2) उपधारा (1) में की गई कोई बात धारा (61) के अधीन व्यावृत (Saved) शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

टिप्पणी

वन अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत वन अपराधों में प्रयुक्त ट्राली को वन अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत किया गया था। धारा 52 के अधीन तत्संबंध में वन अधिकारी द्वारा स्थानीय मजिस्ट्रेट को प्रेषित सूचना प्राप्ति उपरांत जप्त शुदा ट्राली को मजिस्ट्रेट के लिए सुपुर्दगी में दोनों का अधिकार नहीं है। (राम निवास वि. गेम रेंज चम्बल सेंचुरी, भिंड 2012 (2) म.प्र.लॉ.ज. 661 (म.प्र.)।

टिप्पणी - (1) श्री कन्हैयालाल पुत्र जानकीलाल ब्राह्मण निवासी सेन्धवा का ट्रक क्र. MHB 5995 दिनांक 24.2.85 को जप्त हुआ। इस जप्ती की सूचना धारा 52(4) क अन्तर्गत सेन्धवा स्थित मजिस्ट्रेट को दी गई। श्री कन्हैयालाल ने धारा 451 द.प्र.सं. के तहत ट्रक को सुपुर्दनामे पर देने हेतु न्यायालय सेन्धवा में आवेदन दिया जो प्रकरण क्र. 63/85 दर्ज हुआ। यह आवेदन न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 2.5.85 द्वारा खरिज हुआ।

इस आदेश के विरूद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय, बेन्च इन्दौर में रिवीजन पिटीशन दर्ज किया जो प्रकरण क्र. Cr. R/105/85 दर्ज हुआ। इस रिवीजन पिटीशन में धारा 451 C-PC के अन्तर्गत ट्रक को सुर्पुदामे पर देने के अतिरिक्त यह भी निवेदन किया कि ट्रक में सागौन इमारती लकड़ी थी जो म.प्र. वनोपज व्यापार (विनिमयन) अधिनियम, 1669 से नियन्त्रित है तथा वह इस नियम में घोषित specified forest produce पर उसकी धारा 22 के अनुसार भारतीय वन अधिनियम, 1927 या अन्य नियम लागू नहीं होते।

उच्च न्यायालय ने अने फैसले दि. 11.4.86 में निर्णय दिया कि यद्यपि सागौन इमारती लकड़ी विनिर्शिष्ट वनोपज है, लेकिन केवल उस सम्बन्ध में ही अन्य नियम नहीं लगते जिनका प्रावधान म.प्र. वनोपज व्यापार (विनियमन) अधिनियम 1969 में है तथा धारा 52(ग) इस पर लागू होता और रिवीजन पिटीशन खारिज हुआ।

वन अपराध प्रकरणों में राजसात किये गये वाहनों के शासकीय उपयोग/विक्रय के लिये प्रक्रिया :

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 239/4573/10/2/91 दिनांक 10 जनवरी 1992 के द्वारा वन अधिनियमों के अन्तर्गत राजसात हुए वाहनों के शासकीय उपयोग में लेने, अथवा विक्रय करने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की है, तथा :

भ. व. अ. 1927, म. प्र. वनोपज (व्यापार-विनियमन) अधिनियम 1969, म. प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 एवं म.प्र. वनोपज अभिवहन (गमन) नियम 1961 के अन्तर्गत अवैध वनोपज के परिवहन में लिप्त वाहन राजसात करने के अधिकार वन अधिकारियों को दिये गये हैं, इन प्रावधानों के अन्तर्गत जो भी वाहन राजसात किये जाते हैं उनके शासकीय उपयोग अथवा निवर्तन के सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :

राजसात शुदा वाहन जैसे कार, ट्रक आदि, यदि विभागीय कार्य के उपयुक्त हों तो सम्बन्धित वन मण्डलाधिकारी वाहन के समस्त विवरण उपलब्ध कराते हुए उक्त वाहन के शासकीय उपयोग में लाने के लिए, शासन से अनुमति हेतु, प्रस्ताव मु.व.सं. (संरक्षण) मु.व.सं. (उत्पादन) के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। जिन वाहनों को शासकीय उपयोग में लाया जाता है उसके सम्बन्ध में वाहन का निर्माण वर्ष, उक्त वाहन के द्वारा आज तक तय की दूरी, वाहन की वर्तमान स्थिति आदि के सम्बन्ध में मोटर वाहन निरीक्षक (Motor Vehicle Inspector) या अन्य किसी प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रकरण के साथ शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

(2) यदि राजसात हुआ वाहन शासकीय उपयोग हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसका निवर्तन; निम्नानुसार किया जावेगा :

(क) प्रत्येक वन वृत्त से राजसात शुदा वाहनों के अवरोध मूल्य निर्धारित करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा :

(अ) सम्बन्धित वन वृत्त के वन संरक्षक ..... अध्यक्ष,

(ब) जिस वर मण्डल के अन्तर्गत वाहन
राजसात किये गये है उनको छोड़कर
अन्य किसी दो वन मण्डलों के वन
मण्डलाधिकारी ..... सदस्य

(स) वन मण्डलाधिकारी, जिसके क्षेत्र
के वाहन राजसात किये गये हैं .....सदस्य सचिव

(द) लोक निर्माण विभाग (ई. एण्ड एम)
या सिंचाई विभाग (E & M) के प्रतिनिधि ..... सदस्य

(कम से कम कार्यपालन यन्त्री स्तर के हों)

उपरोक्त समिति, वाहन का अवरोध मूल्य निर्धारण करने में अन्य मुद्दों के साथ साथ वाहन का निर्माण वर्ष, वाहन का मूल मूल्य, वर्तमान में नये वाहन के मूल्य एवं वाहन की वर्तमान स्थिति का भी ध्यान रखेगी।

(ख) वन मण्डलाधिकारी (जिसके क्षेत्र में वाहन राजसात किया गया है) द्वारा आवश्यक प्रसार प्रचार उपरान्त सील बन्द निविदा के माध्यम से निविदा बुलवाई जावेगी।

(ग) अवरोध मूल्य से अधिक ऑफर प्राप्त होने पर विक्रय की स्वीकृत देने हेतु वन मण्डलाधिकारी ही सक्षम होंगे। यदि दो बार निविदा के प्रयास होने के पश्चात् भी अवरोध मूल्य से कम राशि की निविदा प्राप्त हो तो 10% तक कम राशि की स्वीकृति देने हेतु वन संरक्षक सक्षम होंगे। यदि 10% से कम मूल्य की निविदा प्राप्त हो तो विक्रय मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

(घ) निविदा पूरी करने के प्रक्रिया, ट्रक के राजसात के आदेश पारित होने के दिनांक से, चार माह के अन्दर पूरी की जावेगी।

उप सचिव
म.प्र. शासन

शासन की अधिसूचना

(1) म. प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्र. 2998/दस/3/83 दिनांक 24-10-83 से धारा 52 संशोधित के अन्तर्गत राज्य शासन ने सहायक वन संरक्षक को 'प्राधिकृत अधिकारी' नियुक्त किया है।

(2) म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्र. 1808/दस/3/83 दिनांक 11-5-84 जो राजपत्र दि. 11-5-84 के पृष्ठ 1523 पर प्रकाशित हुई के अन्तर्गत राज्य शासन ने उप वन संरक्षक तथा विशेष कर्तव्य अधिकारी को धारा 52 (संशोधित) के अन्तर्गत 'प्राधिकृत अधिकारी' नियुक्त किया है।

(3) धारा 52 में 52A. 52B तथा 52C मध्यप्रदेश राज्य संशोधन अधिनियम क्र. 25/1983 द्वारा जोड़ी गई और 1 नवम्बर 1983 से प्रभावी की गई।

न्यायालयों के निर्णयों के उद्धरण

(1) वन अधिकारी की अभिग्रहण और गिरफ्तारी की धारा 52 के अन्दर शक्ति उस दशा में कार्यवाही की जाने के लिए प्राधिकृत करती है जब वन अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वन सम्बन्धी अपराध किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्राधिकारी न केवल वन उपज जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया है उसको अभिग्रहीत (Seize) करने शक्ति रखता है बल्कि उन औजारों (Tools), नावों (boats) गाडियों (Carts) या पशु जानवरों को भी जो अपराध करने में प्रयोग में लाये गये हैं - उन्हें भी अभिग्रहीत कर सकता है। वन-अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार करने की भी शक्ति है जिसके विरूद्ध यह युक्तियुक्त सन्देह (reasonable suspicion) मौजूद है कि उसका ऐसे वन-अपराध से सम्बन्ध है कि जिसकी सजा एक माह के कारावास तक हो सकती है यह धारा 64 में उपबंधित किया गया है - अयोध्याप्रसाद वि. स्टेट म. प्र. - 1978 (1) म.प्र.वी. नोट 491 (जस्टिस जी.पी. सिंह (श्री गुरु प्रसन्न सिंह - म. प्र. हाईकोर्ट)

(2) धारा 52 - क्लास 121 फारेस्ट मैन्युअल हाल्यूम 1 - इमारती लकड़ी का अभिग्रहण-प्राधिकारी पर प्रमाण भार है कि वह सिद्ध करे कि अवैध साधनों द्वारा व्यक्ति इमारती लकड़ी के कब्जेदार बने हैं - यदि यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है तो इमारती लकड़ी छोड़ने के योग्य होगी - (जस्टिस गोलवलकर-मिस. पिटीशन नं. 38/1958 निर्णीत दिनांक - 18.11.1959 (मध्यप्रदेश हाईकोर्ट) ;

(3) अधिहरण करने का आदेश (order of confiscation) ठीक निरस्त किया गया - सेशन्स जज ने रिव्हीजनल को दो आधारों पर मंजूर की जिसे हाईकोर्ट म.प्र. के जस्टिस व्ही.डी. ग्यानी ने उचित ठहराया। सेशन्स जज का निर्णय का पहला आधार यह था कि कन्सरवेटर फारेस्ट-अपीलीय अधिकारी ने यांत्रिक तौर पर मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना आदेश पारित किया और इस तथ्य की अनदेखी की कि क्या खदान संरक्षित वन में थी ? रिव्हीजनल कोर्ट सेशन्स जज इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सर्वे नम्बर 121/1 रकवा 8.25 हैक्टेयर का पट्टा रिस्पोडेन्ट को दिया गया था और यह सामग्री रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह दर्शित हो सके कि यह भूमि संरक्षित वन में शामिल की गई थी जो नक्शा पेश हुआ है उससे यह दर्शित नहीं होता कि सर्वे नम्बर 267 का कोई कम्पार्टमेन्ट (भाग) था जो संरक्षित वन में समाविष्ट है। इस आधार पर सेशन जज का फैसला उचित है - (डिविजनल फारेस्ट आफीसर वि. गोरधन लाल - 1986 (II) म. प्र. वी. नोट 182 जास्टिस व्ही. डी. ग्यानी म. प्र. हाईकोर्ट)

(4) धारा 52 (2) के अधीन रिपोर्ट - अभिग्रहीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अभिग्रहण करने वाला अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी यथाशीघ्र ही अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट करेगा। यदि दाण्डिक कार्यवाही तुरन्त आरम्भ करने का मत हो तो विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट की जायेगी। अभिग्रहण करने के समय तथा रिपोर्ट करने के समय के बीच अन्तर थोड़ा रहना चाहिये हफ्तों या महीने नहीं बीतना चाहिये - (कमलेश कुमार हरवंश लाल छावड़ा वि. स्टेट म. प्र.- 1985 म.प्र.ला.ज. 72 = ए.आयआर. 1985 म.प्र् 130 जस्टिस मुले तथा जस्टिस ग्यानी);

(5) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा धारा 52 तथा 55 में किया गया संशोधन पूर्वगामी (भूतलक्षी) (Retrospective) नहीं है अर्थात् संशोधन दिनांक से पूर्व प्रभावी नहीं है। संशोधित धारा 52(3) में धारा 52(बी) के अधीन कन्सरवेटर फारेस्ट के आदेश के विरूद्ध सेशन्स कोर्ट में निगरानी (पुनरीक्षण-Revision) का प्रावधान है। धारा 52-सी के अधीन कोर्ट की अधिकारिता पर उस दशा में रोक लगाई गई है जब वन अपराध कारित करने में प्रयोग में लाये गये वनोपज या वाहन के बारे में डिवीजनल फारेस्ट आफीसर ने कोर्ट को यह इत्तिला कर दी हो कि उनके अधिहरण (Confiscation) की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है - धारा 55 (संशोधित) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिहरण का आदेश धारा 52(2) लगायत 52 सी के अध्यधीन (Subject to) रहेगा और धारा 54 के अधीन सम्पत्ति के व्ययन (disposal) का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाना तभी सम्भव है जब अधिहरण की कार्यवाही की जाने की कोई इत्तिला वन मण्डलाधिकारी की ओर से कोर्ट को नहीं मिली हो - (अहमद जी वि. स्टेट म. प्र. - 1985 JIJ 482 = 1985 म.प्र.ला.ज. 243 = AIR 1986 म.प्र. 1-जस्टिस सी.पी. सेन तथा जस्टिस अवस्थी - (म.प्र. हाईकोर्ट)

(6) धारा 52 म. प्र. हाईकोर्ट के कूट परीक्षण का अवसर देने के लिए मामला लौटाया - ट्रैक्टर तथा ट्राली के अधिहरण (Confiscation) का आदेश हुआ। रिझर्व फारेस्ट में एक ट्रैक्टर तथा ट्राली को चैक किया गया और 290 ताजे बाँसों और 9 ताजी बल्लियाँ उनमें लदान की गई पाई गई। ट्रेक्टर को धरमदास चर्मकार द्वारा चलाया जा रहा था। ट्रैक्टर के साथ श्रमिकगण थे जिन्होंने बताया कि ये वनोपज रिझर्वफारेस्ट से काटी गई है। नॉन एप्लीकैण्ट के कहने पर संगवही के आरक्षित जंगल से काट कर सेमरा गांव ले जाई जा रही थी। ड्रायवर के पास ट्रांजिट पास नहीं था, इसलिये वनोपज को अभिग्रहीत किया गया हैर केस रजिस्टर हुआ। ड्रायवर शो काज नोटिस पर जवाब आया कि ट्रैक्टर ट्राली चन्द्रकान्त उर्फ रामवल का है जिसे उसने ही सिंघरोड़ी रोड के लिए पानी लाने के लिए लगाया गया था। धरमदास इस ट्रैक्टर का क्लीनर होना जवाब में बताया गया। 1 अप्रैल 1984 को काम समाप्त होने पर ट्रक धरमदास की देख रेख में छोड़ा गया था। जवाब के अनुसार ये बांस निस्तार के लिए सगुना, फददू गिरधारी, सम्पत, शम्भू, दारोनी, धरमदास क्लीनर की परमीशन पर ले जा रहे थे। उन्होंने बांस तथा बल्लियां अपनी होने या उनके कहने पर काटे जाने के तथ्य से इन्कार किया। यह जवाब नामंजूर किया गया और अपराध धारा 52 सह पठित धारा 5 तथा 12 वन उपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 के अधीन किया जाना पाया गया। ट्रैक्टर ट्राली के अधिहरण (Confiscation) का आदेश दिया गया। कन्सरवेटर फारेस्ट शहडोल (मध्यप्रदेश) के यहाँ अपील की गई जो 16.08.1984 को खारिज हुई। अतिरिक्त सेशन्स कोर्ट के यहाँ रिव्हीजन की याचिका प्रस्तुत की गई। जिसमें यह विनिश्चित किया गया कि अभियोजन ने यह साबित नहीं किया कि जिस जगह से अभिग्रहण (Seizure) किया गया वह जगह आरक्षित वन थी। मौखिक साक्ष्य इस बारे में काफी नहीं है तथा अभियुक्तजन को वन अधिकारियों ने जो गवाहान के कथन लिये उन पर कूट परीक्षण (Cross examination) का अवसर नहीं दिया गया जो कानून के विपरीत है उन्होंने विचारण तथा अपील कोर्ट के निर्णयों को रद्द किया और ट्रैक्टर/ट्राली लौटाये जाने का आदेश दिया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में स्टेट म. प्र. की ओर से मामला पहुंचने पर जस्टिस गुलाब सी. गुप्ता ने मानपुर D.F.O. को मामला लौटाते हुए अभियुक्त जन को गवाहान पर कूट परीक्षण करने का अवसर देने के पश्चात् कानून के अनुसार निर्णय देने के निर्देश के साथ आदेश पारित किया। (स्टेट म. प्र. वि. हीरालाल पटेल - 1993 FLT (समरी) 15 म. प्र. हाईकोर्ट, (जस्टिस गुलाब सी. गुप्ता (म.प्र.)।

(7) धारा 52, 52A तथा 52B के अधीन अधिहरण का आदेश - दुखी व्यक्ति अस्थायी व्यादेश (Temporary Injunction) के लिए प्रार्थना कर सकती है।

अस्थायी व्यादेश के लिए मामले की सुनवाई करते समय न्यायालय को गुणागुण (on meritis) पर मामले को नहीं विचार में लेना चाहिये। अस्थायी व्यादेश की कार्यवाही पूरक कार्यवाही (Supplemental proceedings) होती है जिसमें मूल मामले को प्रेस नहीं किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94 (सी.पी.सी.) पूरक कार्यवाही के विषय में स्पष्ट है धारा 94 क्लाज सी में न्यायालय की शक्ति अस्थायी व्यादेश की मंजूरी के बारे में है। न्यायालय जिसके समक्ष अधिकारिता का प्रश्न उठाया जाये उसे अन्तरिम आदेश जारी करने की शक्ति है बिना इसके कि पहले अधिकारिता पर विचार किया जाए। जब तक कि अधिकारिता का प्रश्न नकारात्मक न निर्णीत किया जावे तब तक प्राथमिक दृष्टि से न्यायालय को मामले से संबंधित कानून सम्मत समस्त कार्य एवं किसी कार्यवाही को करने का अधिकार है - (प्रीतपाल सिंह वि. स्टेट म. प्र. 1988 ज.ला.ज. 549 = AIR 1989 NOC 207 (जस्टिस ए. के. दुबे - म. प्र. हाईकोर्ट)

(8) धारा 52(2) तथा 54 - सम्पत्ति का व्ययन - (disposal of property) इस कार्यवाही में अन्तिम आदेश के अध्यधीन बने रहकर अन्तरिम व्ययन का आदेश दिया जा सकता है। बाद में जो अन्तिम (Final order) आदेश न्यायालय का होगा उसके अनुसार अन्तरिम आदेश प्रभावित रहेगा। शब्बीर अली वि. स्टेट म. प्र. - 1986 ज. ला. ज. 469 = 1987 म. प्र. लॉ. ज. 57 जस्टिस व्ही. डी. ग्यानी म. प्र. हाईकोर्ट)

(9) धारा 52-C दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 451 तथा 457-वन अपराध कारित करने में कथित रूप से प्रयोग किये गये, अधिहरण किये जाने वाले (of vehicle to be confiscated) यान की सुपुर्दगी के आवेदन को मजिस्ट्रेट नामंजूर कर दिया। उस आदेश के विरुद्ध रिव्हीजन हाईकोर्ट में की गई जस्टिस के.एल. इसरानी म.प्र. हाईकोर्ट ने रिषीनाथसिंह विरुद्ध स्टेट म. प्र. - 1992 F.L.T. 109 (म.प्र.) में यह करार दिया कि जब ट्रक पुलिस द्वारा नहीं बल्कि रेंज अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत (Seized) किया गया और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया तथा उस ट्रक के सम्बन्ध में धारा 52 फोरेस्ट एक्ट 1927 की आकर्षित होती है तब मजिस्ट्रेट का अधिकारी उस ट्रक को अन्तरिम अभिरक्षा में दिये जाने के बारे में समाप्त हो जाता है उसके अधिकार के बाहर की बात हो जाती है (बाबूलाल लोधी वि. स्टेट म.प्र. 1987 म.प्र.ला.ज. 316=1987 ज.ला.ज. 423; तथा कन्हैयाला वि. स्टेट - 1988 ज.ला.ज. 94 अनुसरित) - (मामले के तथ्य ये थे कि फारेस्ट डिपार्टमेन्ट ने एक ट्रक को 35 पत्थर ले जाते हुए 8.12.1990 के जब्त (Seize) किया था किन्तु फारेस्ट विभाग की कस्टडी में ट्रक आवेदक ले भागने में सफल हो गया। फारेस्ट डिपार्टमेन्ट ने इस बारे में पुलिस स्टेशन रायसेन में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने केस धारा 353, तथा 186 सह पठित धारा 34 (IPC) के रजिस्टर किया और बाद में ट्रक चोरी होने के बारे में धारा 379 (IPC) और जोड़ दी गई। अभियुक्तो की जमानत 23.12.90 को ली गई और 25-12-90 को ट्रक जप्त किया गया तथा चालान 26-12-90 को CJM रायसेन के समक्ष किया गया। उसी दिन आवेदक ने ट्रक के सुपुर्दगी में देने हेतु आवेदन धारा 451, 457 (CrPC) में पेश किया। फारेस्ट रेंज आफिसर ने एक आवेदन CJM को पेश किया जिसमें यह बातया गया कि आवेदक के विरूद्ध फारेस्ट एक्ट 1927 की धारा 26 में केस रजिस्टर्ड है और ट्रक No. MPD 9007 वन अपराध से संबंधित है वन अधिकारी न यह भी निवेदन किया कि धारा 52 फारेस्ट एक्ट के अधीन विचारण न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट को इस मामले में आवेदन धारा 451, 457, CrPC के तहत विचार करने की अधिकारिता नहीं है। अतएव ट्रायल कोर्ट ने ट्रक आवेदक को सुपुर्दगी में दिये जाने का आवेदन निरस्त कर दिया। सेशन्स जज के समक्ष रिव्हीजन पिटीशन फायल की गई वह भी नामंजूर हुई, उसके बाद आवेदक ने रिट पिटीशन नं. M.P. No. 473/1991 फाइल की जो मंजूर होकर मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिया गया कि आवेदक के आवेदन पर ताजा विनिश्चय (Fresh decision) इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21-3-91 में दिये गए observations के प्रकाश में लिया जावे किन्तु CJM रायसेन ने दुबार विनिश्चय में भी आवेदक की सुपुर्दगी में ट्रक दिये जाने की अर्जी नामंजूर कर दी। उसके विरूद्ध हाईकोर्ट में पुन: रिव्हीजन पेश की गई थी।

इस रिव्हीजन में हाईकोर्ट के समक्ष यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया था कि रेट पिटीशन में हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिये थे उससे आवेदक को सुपुर्दगी में लेने के अधिकार अर्जित हुए - इस तर्क के विनिश्चय में पैरा 9, 10 में 1992 FLT 109 (112) में जस्टिस के.एल. इसरानी ने कहा कि -

(1) Proceeding for embracing a right acquired or accured (2) and a legal proceeding for acquisition of a right इन दोनों में अन्तर है, पहला निहित अधिकारी रक्षित है किन्तु मेरी राय में इस कोर्ट द्वारा रिट रिटीशन में दिया निर्देश कि विधिक कार्यवाही सुपुर्दगी में व्हीकल Vehicle लेने की जाय - वह Saved असुरक्षित नहीं है जबकि कोर्ट को फोरस्ट विभाग से नोटिस और इत्तिला मिल चुकी कि वन अपराध के प्रयोग से व्हीकल सम्बन्धित है इसलिये मजिस्ट्रेट को आवेदक की सुपुर्दगी में ट्रक दिये जाने बाबत आवेदन सुनते और विनिश्चय की अधिकारिता नहीं है (1990 MPLJ 188 = JLJ 249) (डौलूमल वि. स्टेट म.प्र. डीबी हाईकोर्ट म.प्र.)

(10) ए.पी. श्रीवास्तव वि. स्टेट म. प्र. - 1990 FLT 325 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - (जस्टिस गुलाब सी. गुप्ता-मध्यप्रदेश) धारा 319 तथा 482 CrPC) तथा धारा 420, 467 तथा 468-(IPC)- धारा 482 (CrPC) के अधीन आवेदन की गाह्यता-विरले मामलों में शक्ति प्रयोग उस दशा में जब विवशकारी परिस्थितियां शक्ति प्रयोग के लिए मौजूद हों अन्यथा 482 CrPC के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि 15-1-1980 को धारा 379 (IPC) के अपराध के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह पुलिस स्टेशन कोंडागांव में प्रतिप्रार्थी नम्बर 2, 3 तथा एक मृत विनोद कुमार जो अब मर गया है - के नाम सहित दर्ज हुई। उसमें कहा गया कि जंगल की लकड़ी लॉट नम्बर 996/1022 बेईमानी से अभियुक्तों द्वारा फर्जी डाक्यूमेंट के आधार पर हटाई गई। पुलिस ने अपराध 420/467/468 (IPC) के अपराधों की चार्ज शीट (चालान) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर में पेश की, जब मामले में चार्ज लगाने के प्रश्न पर मजिस्ट्रेट ने विचार किया तब आवसेदकों की भी ग्रस्तता (involvement) प्रस्तुत

चालान के अपराध में होना प्रतीत हुई और मजिस्ट्रेट ने धारा 319 (CrPC) के अधीन आवेदकों को भी अभियुक्तों (अपराधकर्ताओं) की श्रेणी में शामिल किये जाने और समन किये जाने का ओदश पारित किया। ओदश दिनांक 29-11-1986 से दुखी होकर आवेदकों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में धारा 482 (CrPC) के अधीन हाईकोर्ट की विशेषाधिकार की शक्तियों के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें अभियुक्त बनाये जाने के आदेश को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। जस्टिस गुलाब सी. गुप्ता ने इस मामले में धारा 482 CrPC की शक्तियाँ किन अवस्थाओं में प्रयोग की जा सकती हैं उनका इस मामले में मौजूद होना नहीं पाया और करार दिया कि प्राथमिक दृष्टि में मजिस्ट्रेट ने रिकार्ड चालान आदि देखकर आवेदकों के विरूद्ध मामला बनाना पाकर उन्हें अभियुक्तों में जोड़े जाने और समन किये जाने का ओदश दिया है जो ठीक है इस स्तर पर उस ओदश में कोई हस्तक्षेप धारा 482 CrPC के अधीन नहीं किया जा सकता। इस मामले में हाईकोर्ट ने निम्न प्रकार से केस पर विचार किया -

(1) जोगिन्दर सिंह वि. स्टेट पंजाब - AIR 179 SC 339, में सुप्रीम कोर्ट लॉ कमीशन की रिपोर्ट (क्रमांक 41) के प्रकाश में विचार करके विनिश्चित किया कि यह सभी न्यायालयों को लागू है, धारा 319 के अधीन न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध जो मामले में अभियुक्त नहीं बनाये गये हैं किन्तु जिनके विरूद्ध विचारण के दौरान अपराध में अभिग्रस्त होने की पर्याप्त साक्ष्य है (against whom there appears sufficient evidence during trial, indicating his involvement in the offence as an accused) अन्य अभियुक्तों के साथ विचारण किया जाने के लिए निर्देश दिया जा सकता है (हरीशंकर व्यास वि. स्टेट म.प्र. 1991 (1) म.प्र.वी.नो. 116) में भिन्न मत है)

जस्टिस गुलाब सी. गुप्ता मध्यप्रदेश ने इस मामले में सुप्रीमकोर्ट के उद्धृत केस में शब्द "Evidence" (साक्ष्य) का निर्वचन किया। उनके अभिमत में धारा 319(1) CrPC में शब्द "Evidence" से अभिप्राय विचारण के दौरान रिकार्ड की गई केवल - 'evidence' नहीं है बल्कि धारा 169 तथा 170 CrPC जो मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले भेजने की स्टेज है उसमें भी शब्द - 'evidence' प्रयोग किया गया है जो दर्शाता है कि अपराध के अन्वेषण के दौरान जो सामग्री इकट्ठी की गई वह भी 'साक्ष्य' होना मानी गई है - (ए.पी. श्रीवास्तव वि. स्टेट म.प्र. 1990 (1) म.प्र.वी.नो - 218) सुप्रीम कोर्ट ने रघुवंश दुबे वि. स्टेट बिहार में अपनाये गये दृष्टिकोण का अनुमोदन ही - (AIR 1967 SC 1167) की पुष्टि ही जोगिन्दर सिंह वि. स्टेट पंजब AIR 1979 SC 339 में भी है (अरूण दुबे वि. स्टेट म.प्र. 1991 CrI.J. 840 (844-845) में की है।

(11) स्टेट म. प्र. वि. राकेश कुमार - 194(1) MPJR 368 जस्टिस एस. के. दुबे, (क्रिमिनल रिव्हीजन नं. 191/1990 निर्णीत दिनांक 14-6-1994 ग्वालियर बैंच);

इस मामले के संक्षिप्त तत्य इस प्रकार हैं कि पुलिस पिछोर (जिला शिवपुरी) मध्यप्रदेश को यह इत्तिला मिलने पर कि ट्रक नम्बर UTP 6276- अस्सी बैग तेंदू पत्ता-वन उपज ट्रांजिट पार (परिवहन परवाना) लिये बिना ले जा रहा है। पुलिस ने ट्रक को 15-8-1990 (12.30 p.m.) पर Seize अभिग्रहण कर लिया। सीजर मेमो बनाया और ड्रायवर राकेश को कस्टडी में लिया। एक केस धारा 379 (IPC) तथा मध्यप्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1964 की धारा 5, 7 तथा 8 के अधीन पिछोर पुलिस द्वारा रजिस्टर किया गया जो क्राइम नं. 139/1990 पर कायम हुआ।

ट्रक जप्त करने के बाद पुलिस पिछोर (जिला शिवपुरी - म. प्र.) ने रेंज आफिसर शिवपुरी (म. प्र.) को इत्तिला दी कि वन अधिनियम के तहत वन अपराध किया गया है अतएव वह ट्रक के अधिहरण (Confiscation) की कार्यवाही करें। इस इत्तिला के साथ F.I.R. तथा Seizure Memo की प्रतिलिपि भेजी गई। डिप्टी डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर शिवपुरी म. प्र. ने 20-8-1990 को चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट शिवपुरी (म. प्र.) को इत्तिला की कि सीज्ड प्रापर्टी के वन अपराध में प्रयोग किये जाने के कारण अधिहरण की कार्यवाही (Confiscation proceedings) प्रारम्भ की जा रही है - सीज्ड प्रापर्टी ट्रक No. UTP 6276 तथा 80 बैग्स तेंदू पत्ता है।

राकेश कुमार रिस्पांडेट को अधिहरण की कार्यवाही के प्रारम्भ करने का नोटिस दिया गया लेकिन वह 1-10-90 के नोटिस के बावजूद नियत दिनांक 15-10-90 तक उपस्थित नहीं हुआ। इसलिये उपवन मण्डलाधिकारी ने एक पक्षीय कार्यवाहीद की और अपराध धारा 41 तथा 52 फारेस्ट एक्ट, 1927 तथा धारा 5 म. प्र. तेंदू पत्ता व्यापार (विनिमय) अधिनियम, 1964 होने का साबित पाया।

इसी बीच प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पिछोर (शिवपुरी) के समक्ष राकेश कुमार ने धारा 451 तथा 457 (CrPC) के अधीन अभिग्रहीत ट्रक को सुपुर्दगी (custody) में देने का आवेदन पेश किया। रेंज आफिसर की रिपोर्ट के बाद रिस्पांडेट का आवेदन नामंजूर किया गया क्योंकि ट्रक धारा 52 भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन अभिग्रहीत (seized) किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिछोर (जिला शिवपुरी म. प्र.) ने यह आदेश भी दिया कि ट्रक को कस्टडी में देने की न्यायालय को अधिकारिता (Jurisdication) नहीं है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने रेंज आफिसर पिछोर (शिवपुरी) को एक लेटर जारी किया कि

अभिग्रहीत ट्रक धारा 379 (IPC) के मामले में भी केस प्रापर्टी है इसलिए उसके निर्णय तक जब्त प्रापर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जावे।

इस आदेश से दुखी होकर रिस्पांडेन्ट ने सेशन्स कोर्ट के समक्ष रिव्हीजन पेश की। सेशन्स जज ने रिव्हीजन मंजूर करते हुए यह समुक्ति की (Observed) कि यह शंकास्पद है कि ट्रक अधिहरण किये जाने योग्य है या नहीं और इस प्रकार निर्देश दिया कि रिस्पाडन्ट को ट्रक सुपुर्दगी में Rs. 50.000 पचास हजार रूपये के बंध पत्र पर दिया जावे। इस आदेश के विरूद्ध स्टेट म. प्र. ने हाईकोर्ट में ग्वालियर बैंच में रिव्हीजन पेश की जिसमें जस्टिस एस.के. दुबे ने निम्नलिखित विनिश्चय किया :

(A) वन अपराध को करित करने में वन उपज तथा व्हीकल अधिग्रहीत (Seized) की जाती है और अभिहरण की कार्यवाही (Proceedings for Confiscation) प्रारम्भ की जाती है जिसकी इत्तिला फारेस्ट एक्ट 1927 की धारा 52(4) के अधीन अधिहरण की कार्यवाही के बारे में अपराध का विचाराधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त की जाती है, तब कोई भी न्यायालय ट्रिब्यूनल या प्राधिकारी-धारा 52, 52A तथा 52-B में निर्दिष्ट किसी को भी यह अधिकार नहीं रहेगा कि वह प्रश्नाधीन प्रापर्टी के कब्जे, डिलेव्हरी, डिस्पोजल या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई आदेश दें। पैरा 5-[1994(1) MPJR 368];

(B) धारा 451 दण्ड प्रक्रिया संहिता केअधीन अभिग्रहीत प्रापर्टी के डिस्पोजल, (व्यय-निराकरण) या निपटारे के सम्बन्ध में - मध्यप्रदेश राज्य वन अधिनियम में धारा 52 अन्त: स्थापित की गई। अत: धारा 52C (सी) की दृष्टि से मजिस्ट्रेट की अधिकारिता समाप्त हो गई है (The jurisdication of the Magistrate to make any order with regard to disposal etc. of the orders seized proertyunder Section 451, CrPC is ousted in view of Section 52-C, inserted in the Forest Act (1) MPJR 368 (S.K. Duey, J)

(C) वन अपराध के लिये यह पेनट कोड या अन्य किसी अधिनियम के अधीन अपराध की साथ अपराध में पुलिस आफिसर द्वारा ट्रक के सीजर (Seizer) धारा 52(1) के अधीन अधिहरण (Confiscation) की कार्यवाही के प्रारम्भ की जाने की इत्तिला के पश्चात् इस न्यायालय की राय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की धारा 451 तथा 457 तथा 457 CrPC के प्रावधानों के अधीन अभिग्रहीत विषय वस्तु के सम्बन्ध में अन्तरिम या अन्तिम अभिरक्षा का आदेश पारित करने के लिए कार्यवाही की अधिकारिता समाप्त रहेगी (will stand ousted)। वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की है - उसे प्राधिकृत अधिकारी को इस बात का समाधान (तुष्टि) करना होगा कि इस प्रकार अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति अधिहरण किये जाने (Confiscation) की दायी नहीं है यदि अधिहरण किये जाने का आदेश दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपील के उपचार का और उसके बाद रिव्हीजन सेशन्स कोर्ट में करने का उपाय करना चाहिये जहाँ धारा 52-C(सी) के अधीन अधिकारिता प्रदान की गई है - Para 11-1994 MPJR 368 (at page 372-373) (मध्यप्रदेश) (जस्टिस एस. के. दुबे);

इसकी पुष्टि में अन्य पूर्व के रूलिंग मध्यप्रदेश तथा अन्य निर्दिष्ट किये गये हैं -

(अ) कन्हैयालाल वि. स्टेट म. प्र. - 1988 ज. ला. 94 - ट्रक फारेस्ट आफिसर द्वारा सीज हुआ तथा कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। अधिहरण की कार्यवाही की इत्तिला धारा 52(4) के अधीन वन विभाग ने मजिस्ट्रट को दी थी उस इत्तिला धारा 52(4) के अधीन वन विभाग ने मजिस्ट्रट की अधिकारिता सीज्ड प्रापर्टी के डिस्पोजल करनेकेआदेश देने की समाप्त हो जाती है।

(आ) रिषीनाथ सिंह वि. स्टेट म. प्र. - 1992 म. प्र. ला. ज. 159 - केस पुलिस में धारा 353 तथा 186 सहपठित धारा 34 (IPC) के साथ रजिस्टर हुआ था, फारेस्ट विभाग ने ट्रक को सीज (Seize) किया था - कन्हैयालाल केस - 1988 JLJ 94 तथा बाबूलाल लोधी वि. स्टेट म. प्र. 1987 JLJ 423 का अनुसरण, करते हुए डीबी म. प्र. हाईकोर्ट ने धारा 52-C के अधीन मजिस्ट्रेट की अधिकारिता, सीज्ड प्रापर्टी के डिस्पोजन के सम्बन्ध में वर्जित मानी।

(इ) रेंज फारेस्ट आफिसर वि. कि रोडीलाल 1987 Cr. L.J. 1314 अधिकारिता का वर्जन केवल धारा 52-B(2) (IF Act) के तहत तब नहीं रहता जब सेशन्स कोर्ट रिव्हीजन की सुनवाई करता है और अधिहरण के आदेश के विरूद्ध की गई अपील खारिज की जाती है।

(ई) स्टेट म. प्र. वि. कुंअर लाल - 1994 (I) म. प्र. वी. नोट 48 - जिसमें ट्रैक्टर-ट्राली को पत्थरों के Slabs के साथ फारेस्ट आफीसर ने सीज किया था और इत्तिला CJM को दी थी। धारा 457 CrPC का आवेदन मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था लेकिन सेशन्स कोर्ट ने रिव्हीजन मंजूर कर ली थी उसके विरूद्ध हाईकोर्ट म. प्र. ने आदेश दिया कि धारा 52, 52-A, 52-B और 52-C फारेस्ट एक्ट (म.प्र. राज्य संशोधन) के देखने से सेशन्स, जज द्वारा दिया गया आदेश बिल्कुल अवैध है (is patently illegal);

(उ) अशोक कुमार वि. स्टेट मध्यप्रदेश-क्रिमिनल रिव्हीजन नं. 59/1989 निर्णीत दि. 13.4.1994) म. प्र. हाईकोर्ट (Unreported case) में यही अभिमत प्रकट किया गया है।

(ऊ) Distinguished Cases - (I) भगवान भाई वि. वन मण्डल अधिकारी - 1995 म. प्र. वी. नोट 44; (2) स्टेट म. प्र. वि. बंशीलाल 1991 म. प्र. वी. नोट 118 प्रश्नाधीन मामले में इसलिये लागू नहीं होते हैं क्योंकि इन दोनों मामलों में अधिहरण (Confiscation) की कार्यवाही नहीं प्रारम्भ की गई थी और इस बारे में कोई इत्तिला अधिकारिता से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं दी गई थी।

(12) धारा 52-ए-अपील-अधिहरण (Confiscation) के आदेश से दुखी व्यक्ति - अपील - आदेश दिये जाने की तारीख से या आदेश सम्बन्धी तथ्य की संसूचना मिलने से जानकारी होने की तारीख से तीस दिन (thirty days) के भीतर उस सरकल के प्रभारी वन संरक्षक (अपील प्राधिकारी) को जिसके क्षेत्र में वनोपज या सम्पत्ति को अभिग्रहीत (Seized) किया गया है - अपील कर सकेगा और अपील का ज्ञापन नियम (3) के अनुरूप होगा तथा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जायेगा। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लगाई जायेगी तथा अपील के ज्ञापन पर कोर्ट की स्टाम्प पचास रुपये मूल्य के लगाये जायेंगे।

आदेश की नकल प्राप्त करने में लगा समय - अपील की म्याद में मुजरा दिया जायगा - पिन्नूलाल वि. श्रीराम 1990 रा. नि. 371 पैरा 5 रेव्हन्यू बोर्ड, (सिकतर सिंह वि. प्रतीम सिंह - 1985 रा. नि. 430)

आदेश की संसूचना (जानकारी) से अपील की म्याद गिनी जायेगी और मानी जायगी - रामदीप वि. गिरधारी - 1987 रा. नि. 2401, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर पूर्वी बस्तर वि. इन्दर सिंह - 1973 स. नि. 578.

आदेश के विषय वस्तु (तथ्य) की जानकारी होना चाहिये, पारित होने की जानकारी काफी नहीं है -

(बसन्त सिंह वि. स्टेट - (1972 रा. नि. 428 पैरा 4, तथा 6) छोटेलाल वि. म. प्र. राज्य 1988 रा. नि. 13, केशरी वि. झब्बू - 1990 रा. नि. 237 न्याय से इन्कार नहीं होगा,

(मोहरसिंह वि. जसवंत सिंह - 1980 रा. वि. 16)

अपील का अधिकार - कानून में निहित अधिकार (Vested right) है और कानून द्वारा सृजित (created by Law) - कानूनी अधिकार (Statutory right) है इसे अन्यथा नहीं छीना जा सकता - छोगालाल वि. म. प्र. राज्य 1994 रा. नि. 388 (जस्टिस आर. तिवारी म. प्र. हाईकोर्ट), (सीताराम वि. म. प्र. राज्य 1979 रा. नि. 509 पैरा 7 फुल बैंच हाईकोर्ट म. प्र.) वि. महाराजा मार्त्तण्डसिंह जू देव वि. कमिश्नर ऑफ एक्सपेन्डीचर टैक्स - 1982 ज. ला. ज. 249 हाईकोर्ट);

अपील मूल आदेश के विरूद्ध होगी -

आदेश अधिकारिता रहित हो उसे निरस्त करना कर्तव्य है - (बाबूलाल वि. छोट लाल - 1975 797 पैरा 25 फुलबैंच हाईकोर्ट)

कानूनी प्राधिकारी या ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश यदि युक्तियुक्त तर्क संगत (Reasoned order) या आख्यापक (Speaking order) नहीं दिया गया है तो वह निरस्त किये जाने योगय हो जाता है - अनिल कुमार वि. अपीली अथारिटी - 1987 रा. नि. 185 पैरा 4 हाईकोर्ट म. प्र. 1976 JLJ 293 फुल बैंच हाईकोर्ट म. प्र. 1984 रा. नि. 398 पैरा 4, 7, 8 (AIR 1977 SC 112)

म. प्र. वन (अपील का फार्म) नियम 1988

म. प्र. शासन, वन विभाग - अधिसूचना क्र. 18-3-88-X-3 दिनांक 30-11-88 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. XVI वर्ष 1927) की धारा 52 उपधारा (क) के उपखण्ड (4) तथा धारा 52(क) के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग में लाते हुए राज्य शासन निम्न नियम बनाता है अर्थात् :

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू होने की तिथि :

(1) ये नियम "मध्य प्रदेश वन (अपील का फार्म) नियम 1988" कहलावेंगे।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश पर है।

(3) ये नियम उस तिथि से लागू होंगे जो राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित की जावे।

नोट - म. प्र. शासन वन विभाग, की अधिसूचना क्र. 18-3-88-x-3 दिनांक 30 नवम्बर, 88 मध्य प्रदेश वन (अपील का फार्म) नियम 1988 के नियम 1 के उपनियम (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन 1 दिसम्बर 1988 वह तिथि निश्चित करता है जिस दिन से उपरोक्त नियम लागू होंगे।

2. परिभाषाएं - इस नियम में जब तक कि कोई बात नियम या सन्दर्भ के विपरीत न हो :

(क) "अधिनियम से तात्पर्य भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्र. XVI वर्ष 1927) जिस रूप में मध्य प्रदेश में लागू है, होगा।

(ख) "अपीलीय अधिकारी" से तात्पर्य सर्कल के प्रभावी वन संरक्षक से है।

(ग) "प्राधिकृत अधिकारी" से तात्पर्य राज्य शासन द्वारा धारा 52 उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी से है।

(घ) फार्म से तात्पर्य इस नियम के साथ संलग्न फार्म से है।

(3) (1) राजसात करने के आदेश के विरूद्ध अपील : धारा 52(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित राजसात करने के आदेश के विरूद्ध, अपील ज्ञाप में निम्न विवरण होना चाहिये यथा :

(क) वह लिखित में होगा

(ख) अपीलकर्ता के नाम व पते का उल्लेख

(ग) उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है, के दिनांक का उल्लेख

(घ) अपीलकर्ता को वह आदेश प्राप्त होने के दिनांक का उल्लेख

(ड.) घटना का स्पष्ट विवरण

(च) अपील के आधारों का क्रमवार उल्लेख तर्क एवं विवरण सहित

(छ) संक्षिप्त में चाही गई राहत का उल्लेख

(ज) अपील आवेदन अपीलकर्ता अथवा उसके अधिकृत अभिकर्ता द्वारा निम्न फार्म में प्रकाणित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिये - यथा :

मैं, ……... ऊपर दिये अपील ज्ञाप में दिया अपीलकर्ता एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि अपील में दिया विवरण मेरे ज्ञान व विश्वास के आधार पर सही है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

2. अपील का आवेदन अपील कर्ता अथवा उसके अधिकृत अभिकर्ता द्वारा अपीलीय अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से (Personally) प्रस्तुत किया जावेगा।

3. अपील के ज्ञाप पर पचास रुपये के कोर्ट की स्टाम्प लगाये जावेंगे।

4. सम्पत्ति के राजसात करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की सूचना प्रेषित करना।

अधिनियम की धारा 52 उपधारा 4 के खण्ड (क) के अन्तर्गत, प्राधिकृत अधिकारी, उस मजिस्ट्रेट को, जिसको जप्ती के स्थान पर हुए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार हो; सम्पत्ति के राजसात करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की सूचना फार्म "A" में देगा।

नोट : फार्म "A" नीचे दिया है।

फार्म "A"

दिनांक .....

प्रेषक .....

.....

प्रति,

न्यायायिक दण्डाधिकारी

.....

.....

(1) उस सम्पत्ति का विवरण जिसको राजसात किया जाना प्रस्तावित हो तथा उन परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण, जिसके कारण वह जप्त की गई हो।

(2) राजसात किये जाने के लिए प्रस्तावित सम्पत्ति के मालिक का पूर्ण विवरण :

(3) उस व्यक्ति का नाम जिसके पास से वह सम्पत्ति जप्त की गई

(4) जप्ती का स्थान, दिनांक एवं समय

(5) उस अधिकारी का नाम, जिसने विचाराधीन सम्पत्ति जप्त की।

(6) विचाराधीन सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य।

(7) अपराध/अपराधों का विवरण जिसके कारण जप्ती की गई।

(8) विचाराधीन सम्पत्ति को राजसात करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी - Confiscation तथा forfeiture में अन्तर है। भारतीय दण्ड विधान के अनुसार अधिहृत (Confiscation) के आदेश देने के पूर्व, जिसकी सम्पत्ति अधिहरण की जा रही है, उसको सुनवाई तथा बचाव का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये। यह कार्यवाही आवश्यक है, जप्ती किसी अपराध में जाँच के पश्चात् निर्मुक्त हो सकती है।

[1]धारा 53. धारा 52 के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति - रेंजर से अनिम्न पंक्ति वाला कोई वन अधिकारी, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने धारा 52 के अधीन कोई औजार, नाव, यान या कोई अन्य वस्तु अभिगृहीत की है, इस प्रकार अभिगृहीत सम्पत्ति को धारा 52 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो उस अपराध का जिसके मद्दे अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखता हो, जब ऐसा अपेक्षित हो, पेश करने हेतु एवं अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित ऐसी सम्पत्ति के मूल्य के बराबर की ऐसी रकम की, ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विहित किया जाए, प्रतिपूर्ति का उसके स्वामी द्वारा निष्पादन करने पर उन्हें निर्मुक्त कर सकेगा ।"

धारा 54. तदुपरि प्रक्रिया - ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट सब सुविधापूर्ण शीघ्रता से ऐसे उपाय करेगा जो अपराधी की गिरफ्तारी और विचारण तथा सम्पत्ति का विधि के अनुसार व्ययन के लिये आवश्यक हो :

[2]परन्तु सम्पत्ति के व्ययन से सम्बन्धित आदेश पारित करने के पूर्व मजिस्ट्रेट यह विनिश्चित करेंगे कि ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में धारा 52(4) के अन्तर्गत ऐसी सूचना, इस न्यायालद्व या अन्य न्यायाल में जो जप्त सम्पत्ति के विषय में विचारण (Try) हेतु सक्षम है, प्राप्त हुई है या नहीं।

[3]धारा 55. वन-उपज, औजार आदि कब अधिहरणीय होंगे - (1) ऐसी सब इमारती लकड़ी या वनोपज, जो सरकार की सम्पत्ति नहीं है, और जिसके विषय में वन अपराध किया गया है और ऐसे वन विषयक अपराध के करने में प्रयुक्त सब औजार, नावें, छकड़े और पशु अधिहरणीय होंगे।

[4](1) ऐसी समस्त इमारती लकड़ी या वनोपज या दोनों में से प्रत्येक दशा में, जो सरकार की सम्पत्ति नहीं है और जिनके विषय में कोई वन अपराध किया गया है और समस्त औजार, नावें, यान, रस्से, जंजीरें, या कोई अन्य वस्तु जिनको प्रत्येक दशा में, किसी वन अपराध के करने में प्रयोग किया गया है, अपराधी को ऐसे वन अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने पर धारा 52, 52-क 52-ख, और 52-ग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अधिहरणीय होगी।

---

1. म.प्र. अधि. क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा जोड़ा गया।
2. म.प्र. विधान क्र. 25 वर्ष 1983 द्वारा जोड़ा गया।
3. धारा 54 के अन्तर्गत सम्पत्ति के व्ययन को जो प्रावधान है उसमें सुपुर्द नामा शामिल है अत: ट्रक सुपुर्द नामे पर दी जा सकती है। (साबिर अली वि. म. प्र. शासन, 1987 धारा 57)
4. म.प्र. विधान क्र. 25 द्वारा 55(1) प्रतिस्थापित।

(2) ऐसा अधिहरण, ऐसे अपराध के लिये विहित किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त हो सकेगा।

टिप्पणी (1) - यदि मवेशी मालिक अपनी मवेशियों को अवैध रूप से वन में चरवाहे के द्वारा चरवावे या प्रवेश करावे तो ऐसे मवेशी वन अधिनियम के अन्तर्गत राजसात् किये जा सकते हैं। मवेशी अपराध के साधन है, क्योंकि ऐसे मवेशी से अपरिपक्व पौधे नष्ट होते हैं तथा ऐसे मवेशियों को वन में प्रवेश कराकर या उनसे चरवाकर व्यक्ति धारा 26 (च) का अपराध करता है अत: ऐसे मवेशी राजसात् किये जा सकते हैं।

टिप्पणी (2) - वन में अवैध रूप में वनोपज, या इमारती लकड़ी की चोरी करने के लिए उपयोग में आने वाले, बैल भी राजसात् किये जा सकते हैं।

धारा 56. वन अपराध के लिये विचारण की समाप्ति पर - उस वन उपज का व्ययन जिसके सम्बन्ध में यह अपराध हुआ है, जब किसी वन विषयक अपराध का विचारण समाप्त हो जाता है, तब वह वन उपज, जिसके सम्बन्ध में ऐसे अपराध हुआ है, सरकार की सम्पत्ति है या उसका अधिहरण हुआ है तो वह वन अधिकारी द्वारा अपने भारसाधन (Charge) में ली जावेगी, और किसी अन्य दशा में, उसका ऐसी रीति से व्ययन (Disposal) किया जावेगा, जैसा न्यायालय निर्दिष्ट करें।

धारा 57. जब अपराधी अज्ञात है, या पाया न जा सके तब प्रक्रिया - जब अपराधी अज्ञात है, या पाया नहीं जाता, तब यदि मजिस्ट्रेट का यह निष्कर्ष है कि कोई अपराध किया गया है, तो वह आदेश दे सकेगा कि वह सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में अपराध हुआ है, वह अधिह्रत की जावे और वन अधिकारी द्वारा अपने भारसाधन में ले ली जाये या उस व्यक्ति को दे दी जावे जिसे मजिस्ट्रेट उसका हकदार समझता है :

परन्तु जब तब कि ऐसी सम्पत्ति के अभिग्रहण की तारीख से एक मास का अवसान न हो गया हो, या उस पर किसी अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति की, यदि कोई हो, या ऐसे साक्ष्य की, यदि कोई हो, जिसे वह अपने दावे के समर्थन में पेश करे, सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जावेगा।

टिप्पणी (1) यह धारा उस वन उपज के व्ययन का प्रावधान करती है जो शासन की सम्पत्ति नहीं है लेकिन उसके सम्बन्ध में वन अपराध हुआ है, ऐसी सम्पत्ति भी अधिहरण के योग्य है।

(इब्राहिम अकबर अली वि. राज्य शासन व अन्य (1963) (1) कि. लॉ. ज. 664)

धारा 58. धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत विनश्वर (Perishable) सम्पत्ति विषयक प्रक्रिया - मजिस्ट्रेट धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत और शीघ्र (Speedy) और प्रकृत्य (Natural), क्षयशील (Decay) सम्पत्ति के विक्रय के लिये इसमें या इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्देश दे सकेगा और आगमों (Sale Proceeds) को इस प्रकार बरत सकेगा, जिस प्रकार वह उस सम्पत्ति को बरतता यदि बेची नहीं गई होती।

धारा 59, धारा 55, 56, 57 के अधीन आदेशों की अपील - वह अधिकारी जिसने धारा 52 के अधीन अभिग्रहण किया है या उसके पदीय वरिष्ठों में से कोई, या इस प्रकार अभिग्रहीत सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति धारा 55 या 57 के अधीन पारित किये गये किसी आदेश की तारीख से एक मास के अन्तर, उसके विरुद्ध अपील, उस न्यायालय में कर सकेगा जिसमें ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेशों की अपील मामूली तौर पर होती है और ऐसी अपील कर पारित आदेश अन्तिम होगा।

[1]धारा 60. (1) सम्पत्ति कब सरकार में निहित होगी - धारा 52 के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिह्रत की जाने के लिये आदेशित सम्पत्ति धारा 52 (क) के अधीन अपील के पेश किये जाने पर या "स्वेप्रेरणा" से की जाने वाली कार्यवाहियों के पश्चात् धारा 52 (ख) के अधीन सेशन न्यायालय के समक्ष किये गये पुनरीक्षण की कार्यवाहियों के परिणाम के अध्याधीन रहते हुए, पुनरीक्षण की कार्यवाही समाप्त हो जाने पर, समस्त विल्लंगमों (Encumbrances) से मुक्त होकर सरकार में निहित होगी :

परन्तु ऐसा विधान (Vesting) निम्नानुसार होगा :

(क)	जहाँ अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील नहीं की जाती है या उसके द्वारा स्वप्रेरणा से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।	धारा 52 (क) के अधीन अपील करने के लिए या "स्वप्रेरणा" से कार्यवाही करने के लिए विनिर्दिष्ट कालावधि का, अवसान हो जाने पर।

---

1. म.प्र. विधान क्र. 25 वर्ष 83 की धारा 7 द्वारा संशोधित।

(ख)	जहाँ धारा 52 (क) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश पारित किये जाते हैं किन्तु धारा 52(ख) के अधीन कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाता।	धारा 52 के अधीन पुनरीक्षण के लिये याचिका प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर।

(2) जब कि, यथास्थिति, धारा 55 या धारा 57 के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिहरण के लिये आदेश पारित किया जा चुका है और ऐसी अपील के लिये धारा 59 द्वारा परिसीमित कालावधि बीत गई है, और ऐसी कोई अपील नहीं की गई है, या कि ऐसी अपील के किये जाने पर अपील न्यायालय, ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी प्रभाग के बारे में ऐसे आदेश की पुष्टि करता है, तो यथा स्थिति, ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका ऐसा कोई प्रभाग समस्त विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार में निहित होगा।

धारा 61. अभिग्रहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति की व्यावृत्ति (Saving) - इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात की बाबत यह नहीं समझा जायेगा कि वह राज्य सरकार द्वारा इस निमित सशक्त अधिकारी को ऐसी सम्पत्ति को तुरन्त निर्मुक्त करने के निर्देश देने से निवारित करती है जो धारा 52 के अन्तर्गत अभिग्रहीत की गई हो।

टिप्पणी

वन-अपराध में प्रयुक्त जप्त ट्रक को प्राधिकारी द्वारा समपहृत किए जाने के आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। (मोहम्मद आशिक वि. महाराष्ट्र राज्य 2009 (1) C.C.S. (88)।

धारा 62. दोषपूर्ण अभिग्रहण के लिये दण्ड - कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी तंग करने के लिये और अनावश्यक रूप से किसी सम्पत्ति का अभिग्रहरण इस बहाने से करता है कि ऐसी अभिग्रहीत सम्पत्ति अधिहरणीय है, वह उस अवधि के लिये कारावास से जो [2](एक वर्ष) तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो [2](एक हजार रुपये) तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय हो सकेगा।

धारा 63. वृक्षों एवं इमारती लकड़ी पर चिन्हों के कूटकरण (Counter feiting) और विरुपण (Defacing) करने और सीमा-चिन्हों को बदलने के लिये शास्ति - जो व्यक्ति किसी लोक (Public) या व्यक्ति को हानि पहुँचाने या क्षति पहुंचाने या भारतीय दण्ड संहिता (1960 का 45) में यथा - परिभाषित सदोष (Wrongful) लाभ के आशय से -

(क) जानबूझकर किसी इमारती लकड़ी या खड़े वृक्ष पर लगे किसी ऐसे चिन्ह का कूटकरण करेगा जिसे वन अधिकारी यह उपदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं कि ऐसी इमारती लकड़ी या वृक्ष सरकार की या किसी व्यक्ति की सम्पतित है, या उसे, किसी व्यक्ति द्वारा विधित: काटा या हटाया जा सकेगा, या

(ख) किसी वन अधिकारी या उसके निर्देश के अन्तर्गत किसी वृक्ष या इमारती लकड़ी पर लगाये किसी ऐसे चिन्ह को बदलेगा, विरूपित करेगा या मिटायेगा, या

(ग) किसी वन या पड़त भूमि (Waste Land) के, जिस पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं सीमा चिन्हों को बदलेगा (Alters), सरकायेगा (Moves), नष्ट करेगा (Destroys) या विरूपित (Deface) करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि [1][6 मास] से कम नहीं होगी और दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो रु. 5000/- (पांच हजार तक) या दोनों से दण्डित हो सकेगा :

टिप्पणी : (1) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 23 में सदोष लाभ (Wrongul gain) की निम्न परिभाषा दी है -

"सदोष लाभ अर्थात् गैर-कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति जिस पर लाभ पाने वाले व्यक्ति का कानूनी हक नहीं होता।"

(2) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 28 में कूटकरण (Counter feit) की निम्न परिभाषा दी है -

"एक व्यक्ति द्वारा कूटकरण किया गया है जब कहा जायेगा जो एक वस्तु ऐसी बनाता है जो दूसरे के समरूप (Resemble) हो, और इस समरूपता से उसका उद्देश्य धोखा देने का हो या वह जानता हो कि इस प्रकार धोखा देने का कार्य हो सकता है।"

---

2. म.प्र. विधान 9 वर्ष 1965 धारा द्वारा संशोधित।

1. विधान क्रमांक 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।

टिप्पणी : (2) इस धारा के अन्तर्गत किये अपराध का वन अधिकारी द्वारा धारा 68 के अन्तर्गत शमन (Compounding) नहीं किया जा सकता है।

टिप्पणी : (3) इस चिन्ह से अभिप्रेत वन भूमि की बाहरी सीमा के अतिरिक्त वन सीमा के अन्दर की सीमा से भी है जो यह प्रदर्शित करे या पृथक् करे कि किस खंड के वृक्ष गिराये जाने हैं। जैसे काटने वाले कूपों की सीमा चिन्ह। (देखें AIR 1943 नागपुर, पृष्ठ 139-140)

धारा 64. वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति

(1) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध या युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान है कि वह एक मास या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी वन अपराध से सम्प्रक्त (Concerned) है कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के या बिना किसी वारण्ट के गिरफ्तार कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला हर अधिकारी बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के और बन्धपत्र पर निर्मुक्त करने सम्बन्धी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए गिरफ्तार किये व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के, जिसे इस मामले में अधिकारिता प्राप्त है, के समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के पास ले जावेगा या भेजेगा।

(3) इस धारा किसी बात की बाबत यह नहीं समझा जावेगा कि वह ऐसे कार्य के लिए जो अध्याय 4 के अधीन अपराध हैं, तब तक कि धारा 30 के खण्ड (ग) के अधीन ऐसा कार्य प्रतिषिद्ध न कर दिया हो।

(1) टिप्पणी - यदि कोई प्लान्टेशन वाचर किसी व्यक्ति को संदक्षित वन में निषिद्ध वृक्ष काटते देखता है, तो उसको वृक्ष की रक्षा कि निमित्त उस व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा तथा यह माना जावेगा कि प्लान्टेशन वाउचर भा.व.अ. की धारा 2(2) के अन्तर्गत "वन अधिकारी" है।

नोट : प्लान्टेशन वाचर के कब्जे से छूट भागना धारा 224 IPC के अन्तर्गत अपराध है, साथ ही प्लान्टेशन वायर को चोट पहुँचाना धारा 332 भा. व. द. वि. के अन्तर्गत अराध है।

(अब्दुल अजीज वि. यूनियन टेरीटरी त्रिपुरा 1963(1) CRI LJ 558)

धारा 65. किसी गिरफ्तार व्यक्ति को बन्धपत्र पर निर्मुक्त करने की शक्ति : वन क्षेत्रपाल (Forest ranger) से अनिम्न पंक्ति को कोई वन अधिकारी जिसने या जिसके अधीनस्थ ने, धारा 64 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा यह बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर निर्मुक्त कर सकेगा कि यदि या जब ऐसी अपेक्षा की जावेगी, तो और तब मैं मामले के मारे में अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट के समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा।

धारा 66. अपराधों का किया जाना निवारित करने की शक्ति - हर वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी वन विषयक अपराध के किये जाना को निवारित करेगा और उसे निवारित (Prevent) करने के प्रयोजनों के लिये हस्तक्षेप कर सकेगा।

[1]धारा 66-क. अपराध का प्रयत्न या दुष्प्रेरण - कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उसके उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे उपबंधों या नियमों का उल्लंघन किया है।"

धारा 67. अपराधों का संक्षिप्त विचारण (Summary Trial) करने की शक्ति - जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा निमित्त विशेषतया सशक्त कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन किसी ऐसे वन विषयक अपराध का सक्षिप्तत: विचारण कर सकेगा जो ..... [2](एक वर्ष) से अनधिक कारावास या .....[2](एक हजार रूपये) से अनधिक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय है।

---

1. म.प्र. विधान क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित ।
2. म.प्र. विधान क्र. 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित ।

धारा 68. अपराधों का प्रशमन करने की शक्ति - राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी वन अधिकारी को शक्ति प्रदान कर सकेगी कि वह -

[1](क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध या युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान है कि उसने धारा 62 या धारा 63 में विनिर्दिष्ट अपराध से भिन्न कोई वन अपराध किया है, उस अपराध के लिए, जिसके बारे में यह सन्देह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत करे; और

[1](ख) जब कोई सम्पत्ति अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होने के कारण अधिगृहीत कर ली गई है, तब समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिहरण का आदेश पारित किए जाने के पूर्व ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित उसके मूल्य का संदाय कर दिए जाने पर, उस सम्पत्ति को निमुक्त करे।

[1](2) ऐसे अधिकारी को, यथास्थिति ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य, या दोनों का संदाय किए जाने पर, संदग्धि व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा, और अभिगृहीत की गई सम्पत्ति, यदि कोई हो, निर्युक्त कर दी जाएगी तथा ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

[1](3) कोई भी वन अधिकारी इस धारा के अधीन तब तक सशक्त नहीं होगा जब तक कि वह रेंजर की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का वन अधिकारी नहीं है, और उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत धन की राशि किसी भी मामले में वन उपज के मूल्य के दो गुने से कम नहीं होगी :

परन्तु ऐसी वन उपज के मामले में जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया है, और जो सरकार की सम्पत्ति नहीं है या ऐसी वन उपज के मामले में जिसका मूल्य एक हाजार रुपये से कम है तथा यदि अपराधी ने प्रथम बार अपराध किया है, तो संदिग्ध व्यक्ति को उन्मोचित किया जा सकेगा और अभिगृहीत की गई सम्पत्ति, (वन उपज से भिन्न), यदि कोई है, दस हजार रुपये की राशि के संदाय पर या अभिगृहीत सम्पत्ति के मूल्य पर, जो भी कम हो, निर्मुक्त की जा सकेगी, अभिगृहीत वनर उपज केवल तभी निर्मुक्त की जा सकेगी जब वह यथास्थिति सरकार की सम्पत्ति नहीं है या जब उसके मूल्य का संदाय कर दिया जाता है।"

[2]2. राज्य शासन धारा 68 के अन्तर्गत वन अपराधों का शमन (Compound) करने के लिये निम्न अधिकारियों को अधिकृत करती है -

(i) समस्त कलेक्टर, एक्स्ट्रा अजिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार।

(ii) समस्त वन संरक्षक, उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक, अति. सहायक वन संरक्षक, तथा वन क्षेत्रपाल जिनका मासिक वेतन 100/- रु. से कम न हो तथा उसकी सेवा वन क्षेत्रपाल के रूप में दस वर्ष से कम न हो।

परन्तु :

(अ) अधिनियम की धारा 79 के अधीन अपराध सके सम्बन्ध में अधिकार का उपयोग केवल कलेक्टर, वन संरक्षक या वन मण्डल के प्रभारी ही कर सकेंगे।

(ब) वन क्षेत्रपाल अधिकार का उपयोग तब ही कर पावेंगे जब उनको वन संरक्षक द्वारा इस हेतु विशेष रूप से अधिकृत किया जावे।

(2) इस प्रकार प्रतिकर के रूप में निर्धारित राशि पुनरीक्षण में निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा घटाई जा सकेगी -

(अ) जिलाध्यक्ष द्वारा, यदि नियम की उपधारा (i) में निर्धारित करने वाला अधिकारी पद में जिलाध्यक्ष से निम्न हों।

(ब) वन संरक्षक द्वारा, यदि राशि का निर्धारण करने वाला अधिकारी वरन मण्डल का प्रभारी अधिकारी हो।

(स) वन मण्डल के प्रभारी अधिकारी द्वारा यदि राशि का निर्धारण उस अधिकारी द्वारा किया गया हो जो उसके अधीन हो।

टिप्पणी (1) ऐसे वन अपराध जिसमें आरिक्षत वन में अवैध रूप से वृक्ष कटाई का आरोप हो तो वन अधिकारी, जो राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत हो, ऐसे अपराधों का राजीनामा कर सकता है तथा लकड़ियों का बाजार मूल्य वसूल कर सकता है - (देखें म. प्र. लॉ जनरल 1957 पृष्ठ 622 वीर सिंह गौड़ विरुद्ध म. प्र. शासन)

---

1. म.प्र. विधान क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।
2. फारेस्ट मेन्युअल के अध्याय XV, पैरा 80 नोटिफिकेशन नं. 161-910-XV दि. 15.2.32 ।

धारा 69. यह उपधारा कि वन उपज सरकार की है - जबकि इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही में या इस अधिनियम में या इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कार्य के परिणामस्वरूप ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या वन उपज सरकार की है या नहीं, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जावे, यह उपधारणा की जायेगी कि यह सरकार की सम्पत्ति है।